रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052023-246168
CG-DL-E-30052023-246168

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 30, 2023/ज्येष्ठ 9, 1945
No. 325] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 30, 2023/JYAISHTHA 9, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2023

आय-कर

सा.का.नि. 399(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (i) खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv) और धारा 80छ की उपधारा (5) के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 11कक के, उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(7) धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परन्तुक के खंड (iv) के अधीन किए गए किसी आवेदन की दशा में, अनंतिम अनुमोदन उस पूर्व वर्ष, जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है के सुसंगत निर्धारण वर्ष से प्रभावी होगा ।"।

[अधिसूचना सं. 34/ 2023 / फाईल नंबर 370142/13/2023-टीपीएल]

विपुल अग्रवाल, निदेशक (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- 2, खंड-3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 396 (अ) तारीख 29 मई, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, 30th May, 2023

INCOME-TAX

G.S.R. 399(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of the first proviso to sub-section (5) of section 80G and the third proviso to sub-section (5) of section 80G read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement.–(1) These rules may be called the Income-tax (7th Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 11AA, for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(7) In case of an application made under clause (iv) of the first proviso to sub-section (5) of section 80G of the Act, the provisional approval shall be effective from the assessment year relevant to the previous year in which such application is made.".

[Notification No. 34/2023/ F. No. 370142/13/2023-TPL]

VIPUL AGARWAL, Director (Tax Policy and Legislation)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) vide number S.O. 969 (E) dated 26th March, 1962 and were last amended vide notification number G.S.R. 396 (E) dated 29th May, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA